ई–मेल द्वारा जारी

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन : 0141–2973804, 2988946 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ.(सत्र 2019–20)/2019/479 **दिनांक :** 26-02-2020

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान,
राजस्थान।

विषय : प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशिक्षण सत्र् 2019–20 में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालय/संस्थाओं में पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों को अस्थाई आवंटन पत्र जारी कर प्रवेश प्रदान किये गये है, जिसमें प्रशिक्षण सत्र 2019–20 के लिए समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों ने अपनी–अपनी SSO ID के माध्यम से कौंसिल से आवंटित एवं ऑफ लाईन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान लिये गये प्रवेश विद्यार्थियों को निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक विद्यार्थियों की उपस्थिति (Reporting) प्रेषित की है। इस क्रम में इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 221 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा सार्वजनिक सूचना (Reported Students List in Admission Sesion 2019-20) के माध्यम से सूची का प्रकाशन किया गया था। जिन विद्यार्थियों को अस्थाई आवंटन पत्र जारी कर संबंधित महाविद्यालय द्वारा योग्यताधारी विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया गया है, इन विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है। दस्तावेजों का सत्यापन किये जाने के पश्चात् ही योग्यताधारी विद्यार्थियों का नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा।

इस हेतु समस्त महाविद्यालयो/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के समस्त मूल दस्तावेज निम्नलिखित निर्देशानुसार तैयार कर संलग्न समय–सारणी के अनुसार निर्धारित दिनांक व समय पर कौंसिल में **व्यक्तिशः (डाक से नहीं)** उपस्थित होवे –

1. संबंधित महाविद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों का विवरण संलग्न प्रपत्र **(प्रपत्र 'अ')** में कोर्सवार होना चाहिए।
2. सभी मूल दस्तावेजों के साथ एक–एक छायाप्रति/मूल प्रवजन/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र कौंसिल में जमा किये जायेंगे, किन्तु अन्य समस्त मूल दस्तावेजात सत्यापन उपरान्त संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्रतिनिधि को उसी समय वापस लौटा दिये जायेंगे।
3. प्रत्येक विद्यार्थी के मूल दस्तावेज व उनकी छायाप्रति को क्रमवार, जो कि संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्यापित हो, आवश्यक रूप से निम्नलिखित क्रम में होने चाहिए, ताकि समय की बचत हो सकें –
    1. प्रशिक्षण सत्र् 2019–20 के लिए आवेदन पत्र।
    2. ऑनलाईन अस्थाई आवंटन पत्र।
    3. माध्यमिक/सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका।
    4. माध्यमिक/सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र।
    5. उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका।
    6. उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र।
    7. प्रवजन/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र, जहाँ से अन्तिम शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
    8. जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)
    9. मूल–निवास प्रमाण–पत्र। (विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र यदि लागू हो तो)
    10. दिव्यांगता/विधवा–तलाकशुदा/डिफेन्स प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)
    11. स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सह शुल्क रसीद। (काउन्सलिंग के दौरान अपनी उपस्थिति (Reporting) करते समय प्रस्तुत किया है)
    12. सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।

13. यदि किसी विद्यार्थी द्वारा किसी भी संदर्भ/आशय का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है तो वह मूल शपथ–पत्र। (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डूप्लीकेट अंक–तालिका आदि अन्य सभी कारण)

4. प्रवजन/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत तत्समय ही संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्रतिनिधि को उसी दिन वापस लौटा दिये जायेंगें।

समस्त महाविद्यालय/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित महाविद्यालय/संस्थान निर्धारित दिनांक को प्रातः 11.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण मूल दस्तावेज एवं छायाप्रतियों के साथ कौंसिल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन समय पर किया जाकर, उसी दिन संबंधित महाविद्यालय को मूल दस्तावेज लौटा दिये जायेंगे।

विनिश्चत दिनांक व समय पर समस्त रिकॉर्ड/दस्तावेज के साथ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रू. 5000/– की शास्ति वसूल कर आगामी विनिश्चत की जाने वाली तिथि पर उपस्थित होना होगा, जिसके लिये संबंधित महाविद्यालय स्वंय उत्तरदायी होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

रजिस्ट्रार

Rajasthan Para-medical Council, Jaipur

Plot No. 6-7, Everest Colony, Near Apex Mall, Lal Kothi, Jaipur - 302015
Phone No. 0141-2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

(Admission Session 2019-20 Documents Verification for Enrollment)

Time-Table

Sr. No.	Date & Time	Name of Institute/College
1	02-03-2020 11.00 A.M.	A.J. Manju College of Para Medical Sciences
		Adarsh Para Medical Institute
		Agrasen Para Medical Institute
		Ambika Institute for Para Medical Studies
		Apex Career Institute
2	03-03-20 11.00 A.M.	Anand Institute of Medical Sciences & Research Center
		Aravali Institute of Para Medical Sciences
		Asha Devi Institute of Para Medical Sciences
		Ayush Para Medical Institute
3	04-03-20 11.00 A.M.	BBN College of Para Medical Scineces
		Bharat Hospital and Research Center
		Bharat Vikas Parisad Hospital and Research Center
		Brindavan Institute of Para Medical Sciencs
		Choudhary Para Medical college
4	05-03-20 11.00 A.M.	Bloom Paramedical College
		Bombay Institute of Health Sciences & Research
		Dr. Tanveer Malawat Para Medical Institute
5	06-03-20 11.00 A.M.	Dana Shivam Para Medical College
		Dr. B Lal Institute of Para Medical Sciences

नोटः—उपरोक्त महाविद्यालयों/संस्थानों के अलावा अन्य महाविद्यालयों/संस्थाओं के दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समय—सारणी का प्रकाशन ई—मेल/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा, कृपया सूचित रहें।

26/2/2020
रजिस्ट्रार

(प्रपत्र 'अ')

College Name: ....

Address: ....

Sr. No.	Application ID	Course Name	Allotment Round	Student Name	Father's Name	Gender	DOB	Migration No.	Migration Issue Date
1	Student Application ID start with 191.....	Full Name of Course	First Counselling Second Counselling Third Couselling Waiting Round Offline Admission	Name of Student as per Sec. Marksheet	Name of Father as per Sec. Marksheet	Male Female Third Gender	DD/MM/YYYY		

Date:-

Principal Signature with Seal